IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड गाजियाबाद-03

वसुन्धरा आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-16ए,

वसुन्धरा, गाजियाबाद-201012

✉ cd27gzb@upavp.com & eecd27upavp@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र सं0 - 559 ENG-4B/18 दिनांक-20-08.25

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नांकित कार्यो हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं MSME में पंजीकृत/निर्माणकर्ता एवं अनुभवी टेकेदारों/फर्मो से ई–निविदा टू–बिड पद्धति से आमंत्रित की जाती है, जो निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में निम्नांकित विवरण के अनुसार खोली जायेगी। निविदा प्रकाशित होने के बाद http://etender.up.nic.in पर समस्त विवरण ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना परिषद वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय बिड का परिणाम भी http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य/फीस (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	टेकेदार / फर्म की श्रेणी	ई–निविदा डाउनलोड तथा अपलोड करने की तिथि	तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	खण्ड कार्यालय जहां निविदा खोली जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(अ) अजन्तापुरम योजना, गाजियाबाद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में आर0सी0सी0 ट्री–गार्ड की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य।	365 Nos	15.00+GST	0.30	3000.00+ 18% GST	02 माह	निर्धारित श्रेणी /MSME में पंजीकृत	21.08.2025 (05:00 PM) से 04.09.2025 (03:00 PM) तक	04.09.2025 (03:30 PM)	कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद –03, जनपद–गाजियाबाद
	(ब) उक्त योजना में आर0सी0सी0 पोस्ट की आपूर्ति व फिक्सिंग तथा बारबेड वायर फेन्सिंग का कार्य।	385 Nos								
	(स) वित्तीय वर्ष 2025–26 में रोपित पौधों के 06 माह की अवधि तक अनुरक्षण का कार्य।	1300 Nos								

क्रमशः पृष्ठ 2

धरोहर धनराशि एवं ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

1-	खाता धारक का नाम	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
2-	बैंक का नाम/शाखा	पंजाब नैशनल बैंक, सैक्टर-13, वसुन्धरा, गाजियाबाद।
3-	बचत खाता संख्या-	0180012100000159
4-	आई0ए0एफ0सी0 कोड	PUNB0471800
5-	परिषद का पैन नं0-	AAAJU0103A
6-	जी0एस0टी0 नं0	09AAAJU0103AFZF

ई-निविदा के सम्बन्ध में शर्तें

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग RTGS के माध्यम से दिनांक 03.09.2025 को अपरान्ह 16.00 बजे तक सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किये जाने होगें। यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद में) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रुप में देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र के फीस का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा तथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।
4. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार निर्धारित बैंक खाते में जमा (Credit)होना आवश्यक है। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त वांछित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के मूल्य से संबधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर/जमा पुष्टि प्रपत्र की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा। निविदा आमन्त्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.inअथवा http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक फर्मों/निविदादाताओं से अपेक्षा है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि इस निविदा के सम्बन्ध में संशोधन/बदलाव की सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
6. निविदादाता की निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत जमानत धनराशि/परफार्मेन्स सिक्योरिटी की FDR/CDR जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद-03 को बंधक हो, जमा करनी होगी।
7. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय दरों की वैधता 03 माह की रखने हेतु रु0 100.00 मूल्य के नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर जिस पर रु0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो देनी होगी एवं ई-टेण्डर में स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
8. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त मूल्य का स्टाम्प पेपर कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय फर्म/निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
9. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
10. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/सी0पी0डब्लू0डी0/उ0प्र0 वन विभाग/भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आई0एस0 कोड/IRC कोड/सी0पी0एच0ई0ई0ओ0 मैनुअल/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।

क्रमशः पृष्ठ 3

11. फर्म/निविदादाता द्वारा बिड में दिये गये दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर फर्म/निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रुप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
12. फर्म/निविदादाता काजी0एस0टी0 एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयकों से इनकम टैक्स एवं अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
13. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी हेतु फार्म MM-11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जाएगी। शासनादेश संख्या–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में फर्म/ निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते है तो निर्धारित रायल्टी का छः गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
14. निविदादाता/फर्म के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्य एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो फर्म/निविदादाता का अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
15. शासनादेश संख्या–622/2372–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 सेBelowदर देने पर फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी देय होगी। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड गाजियाबाद–03 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में बंधक हो, के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

(क)10 प्रतिशतBelowदर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम(Below)दर पर/0.50 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।

(ख)10प्रतिशत से अधिकBelowदर होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम(Below) दर पर/1.00 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।

16. शासनादेश संख्या 622/2372–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनॉक 08.06.2012 के कम में मुख्य अभियंता (म0) के पत्र संख्या 4196/निविदा/2018 दिनॉक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मामले में वॉछित अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एल–1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा स्वीकृति के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करने पर अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
18. बी0ओ0क्यू0 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी।
19. निविदादाता/फर्म के देयकों से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किया जायेगा।
20. कार्य की मात्रा घट–बढ़ सकती है, जिसके लिए फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व फर्म/निविदादाता को चाहिए कि वे स्थल का निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।
22. जी0पी0डब्लू–9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
24. कार्य के डिफेक्ट लाइबिलिटी की अवधि 01 वर्ष (कार्य पूर्ण होने की तिथि से) होगी।
25. वायु प्रदूषण एवं स्मॉग की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निविदादाता द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व एन0जी0टी0 की निर्धारित गाइड लाइन्स के अनुसार किया जाना होगा।
26. फिनिशिंग, फर्नीशिंग आदि मदों में परिषद की ब्रान्डेड मटैरियल सूची में कई मेक उपलब्ध होने की दशा में उनमें से प्रयोग हेतु मेक का चयन अनुबन्धकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ 4

27. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ ही टी–4, टी–5 अर्थात जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अथवा समकक्ष द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र एवं हैसियत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
28. कोई भी निविदादाता/फर्म जो उ0प्र0 राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, वो ही निविदा प्रकिया में भाग ले सकता है तथा इस आशय का शपथ पत्र रू0 10.00 के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
29. आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्यो हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
30. सशर्त अथवा प्रतिबन्धित निविदा मान्य नहीं होगी।
31. फर्म को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
32. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन से सम्बन्धित कोविड–19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
33. किसी भी विवाद की दशा में जनपद–गाजियाबाद नगर न्यायिक क्षेत्र होगा।
34. फर्म/ठेकेदार आर0सी0सी0 पोस्ट/आर0सी0सी0 पैनल निर्माणकर्ता को कम से कम 05 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
35. फर्म/ठेकेदार का MSME में कम से कम 01 वर्ष का वैध पंजीकरण होना अनिवार्य है।
36. कार्य में रोपित पौधों का 06 माह तक अनुरक्षण कार्य करना होगा। तत्पश्चात् ही फर्म की जमा सिक्योरिटी राशि अवमुक्त की जाएगी।

(एच0 राम)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: / उक्त / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।

20/8/25

अधिशासी अभियन्ता